राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:-- 9/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–09.01.2025

1 मोहनलाल पिता मांगीलाल जाति रेगर निवासी हिण्डोली जिला बून्दीं।
2 मोतीलाल पिता मांगीलाल जाति रेगर निवासी हिण्डोली जिला बून्दीं।
3 प्रभूलाल पिता मांगीलाल जाति रेगर निवासी हिण्डोली जिला बून्दीं।
4 नन्दूबाई पुत्री पिता मांगीलाल जाति रेगर निवासी हिण्डोली जिला बून्दीं।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 22/08/2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 177 ख.सं. 6246/5717 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम बालोला पटवार मण्डल अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विस्थित है, उक्त भूमि प्रार्थीगण को अपने पिता से विरासत मे प्राप्त हुई है, तथा वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण के पिताजी का नाम वास्तविक नाम मांगीलाल था, तथा उक्त भूमि पूर्व मे प्रार्थीगण के पिता के नाम खातेदारी मे दर्ज चली आ रही थी तथा सम्वत् 2067 से 2070 की खाता संख्या 146 मे प्रार्थी के पिता का नाम मांगीलाल पिता प्रताप अंकित चला आ रहा था, तथा सम्वत् 2076 से 2079 उक्त भूमि की जमाबंदी को ऑनलाईन करते समय राजस्व कर्मचारीयो द्वारा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के पिता का नाम मांगीलाल के स्थान मांलीलाल दर्ज कर दिया है तथा प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद अपने नाम नामान्तरण खुलवाकर उक्त भूमि की राजस्व रिकार्ड की जामंबदी निकलवाने पर प्रार्थीगण को उक्त गलत नाम का पता चला जबकि प्रार्थीगण के पिता का मांगीलाल ही है, जो प्रार्थीगण के सभी दस्तावेज मे दर्ज है, इसलिये उक्त गलत इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्राथीगण के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक डायरी आदि मे प्रार्थीगण के पिता का नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

मांगीलाल ही दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमिया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के पिता का मांलीलाल दर्ज कर देने के कारण, प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमियों पर सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पा रहे है, इसलिये राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज मांलीलाल के स्थान पर मांगीलाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने हल्का पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 10.12.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थन पत्र का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भमियो मे दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम मांलीलाल के स्थान पर मांगीलाल दर्ज करवावे। भूमि ग्राम बालोला पटवार मण्डल अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि भूमि खाता संख्या 177 खःसं. 6246 / 5717 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम बलोला पटवार मण्डल अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम मांलीलाल के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर मांगीलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व / 25 / 2062 दिनांक :–04.07.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बालोला जमाबंदी सम्वत् 2059 से 2062 के खाता संख्या 139 में प्रार्थी के पिता नाम मांगीलाल आ0 प्रताप दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमियॉ प्रार्थीगण को विरासत से प्राप्त हुई है जिसमें जमाबंदी 2063 से 2066 के खाता संख्या 146 में प्रार्थी के पिता का नाम मांगीलाल पिता प्रताप अंकित है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों को उक्त खाता नम्बर में दर्ज मांलीलाल पुत्र प्रताप व मांगीलाल पुत्र प्रताप एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम मांलीलाल के स्थान पर प्रार्थीगण के पिता का सही नाम मांगीलाल दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किंया कि प्रार्थीगण के पिता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

का सही नाम मांगीलाल पुत्र प्रताप है जिसे मुताबिक् प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र व जमाबंदी सम्वत 2059 से 2062 व 2067 से 2070 पेश किए है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम मांगीलाल पुत्र प्रताप दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम बालोला पटवार मण्डल अमरत्या के खाता संख्या 177 में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम मालीलाल के स्थान प्रार्थीगण के पिता का सही नाम मांगीलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 22.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

22/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)